रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 1986/ज्येष्ठ 8, 1908
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 1986/JYAISTHA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

अधिसूचना

का. आ. 308(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रो. के. सच्चिदानन्द मूर्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उनके पद ग्रहण करने से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है ।

[सं. एफ. 10-25/85-डेस्क (यू.)]

किरीट जोशी, विशेष सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 29th May, 1986

NOTIFICATION

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5, read with Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Prof. K. Satchidananda Murty as Vice-Chairman, University Grants Commission for a period of three years with effect from the date he enters upon his office or till the completion of 65 years of age, whichever is earlier.

[No. F. 10-25|85—Desk(U)]

KIREET JOSHI, Special Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986